न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 817 / 2019

गुरजन्ट सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति रामगढिया निवासी किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

वादी

1. हरबन्स सिंह पुत्र अंग्रेज सिह जाति रामगढिया निवासी किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2. गुरमेल सिंह पुत्र अंग्रेज सिह जाति रामगढिया निवासी किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3. बचन कौर पत्नी अंग्रेज सिंह जाति रामगढिया निवासी किलांवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4. गुडडी कौर पुत्री अंग्रेज सिंह पत्नी मुकन्द सिंह जाति रामगढिया निवासी 5 जी सहारणावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. वीरपाल कौर पुत्री अंग्रेज सिंह पत्नी गुरतेज सिंह जाति रामगढिया निवासी 9 ए चूनावढ तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1. श्री राकेश सिहाग अधिवक्ता (वादी)
2. राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 19.2.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत धारा 88, आर.टी.ए. के तहत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 35 एम.एम.के. जमाबदी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 3/2 प.न. 50/199 मु.न. 17 कि.न. 1,2,9 ता 11, 20 ता 22 में 2.024 है. नहरी कुल खाता 2.024 हे. नहरी आराजी वादी के पिता अंग्रेज सिंह के नाम से दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न वाद पत्र है। चक 35 एम.एम.के. जमाबंदी समवत 2068–2071 खाता संख्या 27/7 प.न. 50/197 मु.न. 13 कि.न. 24,25 में 0.506 है. नहरी मय खाला, प.न. 51/198 मु.न. 15 कि.न. 3 ता 8, 10, 11, 13 ता 22, 24, 25 में 4.892 हे. नहरी मय गै.मु. रास्ता, प.न. 50/198 मु.न. 16 कि.न. 4, 5, 24, 25 में 1.012 है. नहरी मय खाला, प.न. 50/199 मु.न. 17 कि.न. 3 ता 8, 12 ता 19, 23 ता 25 में 4.301 है. नहरी मय खाला, प.न. 51/199 मु.न. 18 कि.न. 1, 4 ता 7, 10 ता 12, 19 ता 22 में 3.036 है. नहरी मय खाला आराजी कुल 13.747 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता , खाला आराजी में से स्व. अंग्रेज सिह के नाम 3.078 है. आराजी दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबदी संलग्न वाद पत्र है। वादाधीन दावा की मद संख्या 2 व 3 मे दर्ज स्व. अंग्रेज सिंह के नाम आराजी वादीगण एव प्रतिवादीगण की विरासतन भूमि है जो कि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 व2, 4 व 5 सगे भाई बहिनें है एव प्रतिवादी संख्या 3 वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 व 2, 4, 5 की माता है। स्व. अंग्रेज सिंह के नाम उक्त वादाधीन आराजी के अलावा पंजाब राज्य मे भी आराजी दर्ज कागजात माल थी जो कि वादीएव प्रतिवादी संख्या 1व 2 संयुक्त रूप से अपने पिता के साथ रहकर वादाधीन आराजी एव पंजाब

उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

राज्य की आराजी को काश्त करते है। एव प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की शादी भी वादी एव प्रतिवादी संख्या 1व 2 ने अपने पिता के साथ संयुक्त रूप से रहते हुये अच्छे खानदान में अच्छा दान दहेज देकर की हुयी है। जो कि कालान्तर में परिवार बढ़ जाने के कारण व आपस में लड़ाई झगड़ा होने से पारिवारिक शांति भंग होने लग गयी थी जिस पर वादी एव प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक बंटवारा वादी एव प्रतिवादीसंख्या 1 व 2 के जीवनकाल में ही हो गया था एव वादी के पिता द्वारा किये गये बंटवारा में प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने अपने हक हिस्सा की आराजी को वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में छोड़ दी थी एव पारिवारिक बंटवारा के मुताबिक वादी के पिता ने अपने नाम दर्ज पंजाब राज्य की आराजी का बेचान कर चक 3 यू डी पालेवाली ढाणी में प्रतिवादीसंख्या 1 व2 को उनके हक हिस्सानूसार आराजी खरीद कर दे दी थी जो कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज कागजात माल है एव उक्त वादाधीन आराजी के अलावा भी चक 34 एम एम के में वादी एव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा की आराजी है जो कि प्रतिवादीसंख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज कागजात माल है एव उक्त वादाधीन दावा की मद संख्या 2 व 3 में वर्णित आराजी वादी को प्राप्त हुयी थी एव वादी के पिता भी वादी के साथ ही रहते थे एव वादी ही उक्त वादाधीन आराजी को अपने पिता के जीवनकाल में हुये बंटवारानूसार सभी प्रतिवादीगण के देखा देखी काश्त करता आ रहा है। प्रतिवादीसंख्या 1 व 2के नाम मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार दर्ज आराजी की जमाबदी की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद पत्र है। वादी के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त की वादाधीन दावा की मद संख्या 2 व 3 मे दर्ज आराजी वादी को अपने पिता के जीवनकाल में ही प्राप्त हो गयी थी एव तब से लगातार बिना किसी बाधा के सभी प्रतिवादीगण के देखा देखी वादी वादाधीन आराजी को पारिवारिक बंटवारानूसार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है, परन्तु वादाधीन आराजी वादी के नाम से मुताबिक बंटवारानूसार दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादी को पानी की बारी रकम अदायगी बैंक ऋण व अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एव आराजी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड नही होने के कारण वादी को प्रतिवादीगण के द्वारा आराजी से बेदखल किये जाने एव राजस्व रिकॉर्ड में आराजी अपने नाम से दर्ज करवाकर रहन बैय करने का अंदेशा लगा रहता है जिस कारण वादी अपने हक हिस्सा में आयी आराजी को शांतिपूर्वक काश्त करने में असमर्थ है इसलिए वादी अपने हक हिस्सा एव कब्जा काश्त आराजी की खातेदारी घोषणा प्राप्त करने का कानूनन हक·अधिकारी है। वादी ने कई बार प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे लोग वादी को उसके हक हिस्सा एव कब्जा काश्त में प्राप्त आराजी का सहमति के आधार पर मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार खातेदार काश्तकार स्वीकार कर लेवे व किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर वादी के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त में पारिवारिक बंटवारा में प्राप्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम से दर्ज रिकॉर्ड करवा देवे तोपहले तो प्रतिवादीगण आज कल आज कल करते रहे परन्तु बार बार निवेदन करने पर भी प्रतिवादीगण द्वारा टाल मटौल करने पर वादी ने दिनांक 01.10.2019 को बमुकाम किलांवाली में बिरादरी की पंचायत बुलाई और पंचायत के समक्ष प्रतिवादीगण से निवेदन किया कि वे लोग वादी के हक हिस्सा की आराजी वादी के नाम से दर्ज रिकॉर्ड करवा देवे तो प्रतिवादीगण ने पंचायत के समक्ष वादी की बात मानने से स्पष्ट रूप से ईन्कार कर दिया और वादी को ऐलानिया धमकी दी कि हम तो किसी बंटवारा को नही मानते हमारे हकहिस्सा की आराजी हमारे नाम से दर्ज है और उक्त आराजी को भी ब.हि.ब. दर्ज करवायेगें और तुम्हे कोई हक हिस्सा नही देगें तुम्हे जो करना है कर लो बस यही बिनाये दावा है जो वादी को खिलाफ प्रतिवादीगण हासिल है। वादी के हक हिस्सा की आराजी विरासतन भूमि है एव वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में ही वादाधीन आराजी को पारिवारिक बंटवारानूसार वादी को सुपुर्द

उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

कर दिया था एव प्रतिवादीगण को उनके हक हिस्सा की आराजी पंजाब राज्य की आराजी का बेचान कर उनके नाम से दर्ज करवा दी थी परन्तु उक्त आराजीवादी के नाम से नही होने के कारण वादी का अपने भाईयों पर अधिक विश्वास होने के कारण अब प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति पैदा हो गयी है और प्रतिवादीगण वादाधीन आराजी को अपने नाम से दर्ज करवाकर वादाधीन आराजी को खुर्द बुर्द करना चाहते है अगर प्रतिवादीगण अपने इस आशय में कामयाब हो जाते है तो वादी अपने हक हिस्सा की आराजी से हमेशा हमेशा के लियं वंचित हो जायेगा और वादी को बहुत भारी क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार के हर्जाना से नही हो सकेगी। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कानूनन हक अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादाधीन दावा की मद संख्या 2 व 3 मे दर्ज आराजी को अपने नाम से दर्ज करवाकर रहन बैय करने एव वादी की कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करने से बाज व ममनू रहे। इस बाबत वादी का प्रथम दृष्टया मामला बखूबी बनता है एव सुविधा का सन्तुलन भी वादी के हक में है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा वाद वादी मय शपथ पत्र दो प्रतियों मे पेश कर निवेदन है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :– (क) यह कि चक 35 एम. एम.के. जमाबदी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 3/2 प.न. 50/199 मु.न. 17 कि.न. 1,2,9 ता 11, 20 ता 22 में 2.024 है. नहरी कुल खाता 2.024 हे. नहरी आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से स्व. अंग्रेज सिंह पुत्र सरवन सिंह का नाम कलमजन किया जावे।(ख) यह कि चक 35 एम.एम.के. जमाबंदी समवत 2068–2071 खाता संख्या 27/7 प.न. 50/197 मु.न. 13 कि.न. 24,25 में 0. 506 है. नहरी मय खाला, प.न. 51/198 मु.न. 15 कि.न. 3 ता 8, 10, 11, 13 ता 22, 24, 25 में 4.892 हे. नहरी मय गै.मु. रास्ता, प.न. 50/198 मु.न. 16 कि.न. 4, 5, 24, 25 में 1.012 है. नहरी मय खाला, प.न. 50/199 मु.न. 17 कि.न. 3 ता 8, 12 ता 19, 23 ता 25 में 4.301 है. नहरी मय खाला, प.न. 51/199 मु.न. 18 कि.न. 1, 4 ता 7, 10 ता 12, 19 ता 22 में 3.036 है. नहरी मय खाला आराजी कुल 13.747 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता , खाला आराजी में से स्व. अंग्रेज सिह के नाम दर्ज 3.078 है. आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से स्व. अंग्रेज सिंह पुत्र सरवन सिह का नाम कलमजन किया जावे। एवं इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण दावा की मद संख्या 2 व 3 मे दर्ज आराजी को अपने नाम से दर्ज कागजात करवाकर रहन बैय आदि दीगर तरीके से हस्तांतरित करने एव वादी की कब्जा काश्त मे दखलअंदाजी करने से बाज व ममनू रहे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण की तलब सामान्य प्रक्रिया एव रजिस्टर्ड डाक से होने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान मे रखते हुये वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गयी, दौराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादाधीन आराजी वादी के मृतक पिता के नाम से दर्ज चली आ रही है जो कि वादी वादाधीन आराजी में पिता के जीवनकाल मे हुये बंटवारानूसार खातेदारी घोषणा की मांग कर रहा है एव वादी का कथन है कि प्रतिवादीगण को वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में ही आराजी खरीद कर दी हुयी है एव एव आराजी प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज चली आ रही है एव इस सम्बध में वादी ने अपने वाद पत्र के साथ चक 3 यू टी एस जमाबदी सम्वत 2074–2077 खाता संख्या 140/124 , चक 33 एम एम के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 खाता संखय 75/70, चक 33 एम एम के जमाबदी

उपखण्ड अधिकारी
सादलशहर

Scanned by CamScanner

सम्वत 2075–2078 खाता संख्या 76/71 , चक 33 एम एम के जमाबंदी सम्वत 2075–2078 खाता संख्या 74/69 , चक 34 एम एम के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 85/81 , चक 34 एम एम के जमाबदी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 115/113 की जमाबदी पेश की है एव उक्त सभी चको के खातों में आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम वादी के कथनानूसार दर्ज है जिससे साबित है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को उनके हक हिस्सानूसार आराजी पूर्व में वादी के पिता ने दे रखी है एव प्रतिवादीगण केनाम से दर्ज होकर प्रतिवादीगण आराजी पर बैंक ऋण ले रखा है एव आराजी का उपयोग व उपभोग कर रहे है एव वादी के कथनों का प्रतिवादीगण ने असालतन व वकालतन उपस्थित होकर विरोध नही किया है एवं वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है एव वादाधीन आराजी में ब.हि.ब. के हक अधिकारी है एव वादीपारिवारिक बंटवारानूसार वादाधीन आराजी में घोषणा की मांग कर रहा है एव प्रतिवादीगण के हक हिस्सा में आराजी पूर्व में मिल जाने के सम्बध में दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर वादी ने पारिवारिक बंटवारा को एव अपने अभिकथनों को बखूबी साबित किया है , इस प्रकार वादी के वाद पत्र का कोई विरोध नही होने एव वाद पत्र के समर्थन मे पेश दस्तावेजी साक्ष्य, एव अभिकथनों व बहस के आधार पर वादी ने अपने वाद पत्र को बखूबी साबित किया है, वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि :– (1) चक 35 एम. एम.के. जमाबदी सम्वत 2068–2071 खाता संख्या 3/2 प.न. 50/199 मु.न. 17 कि.न. 1,2,9 ता 11, 20 ता 22 में 2.024 है. नहरी कुल खाता 2.024 हे. नहरी आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता से स्व. अंग्रेज सिंह पुत्र सरवन सिंह का नाम कलमजन किया जाता है।(2) चक 35 एम.एम.के. जमाबंदी समवत 2068–2071 खाता संख्या 27/7 प.न. 50/197 मु.न. 13 कि.न. 24,25 में 0. 506 है. नहरी मय खाला, प.न. 51/198 मु.न. 15 कि.न. 3 ता 8, 10, 11, 13 ता 22, 24, 25 में 4.892 हे. नहरी मय गै.मु. रास्ता, प.न. 50/198 मु.न. 16 कि.न. 4, 5, 24, 25 में 1.012 है. नहरी मय खाला, प.न. 50/199 मु.न. 17 कि.न. 3 ता 8, 12 ता 19, 23 ता 25 में 4.301 है. नहरी मय खाला, प.न. 51/199 मु.न. 18 कि.न. 1, 4 ता 7, 10 ता 12, 19 ता 22 में 3.036 है. नहरी मय खाला आराजी कुल खाता 13.747 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता , खाला आराजी में से स्व. अंग्रेज सिह के नाम दर्ज 3.078 है. आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं उक्त खाता से स्व. अंग्रेज सिंह पुत्र सरवन सिह का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.2.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.17 11:31:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: